न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 52/2024 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र शेर सिंह यादव निवासी 34, अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर

GCMS No-2024/121

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
21.11.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 1.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित 11 बिन्दुओं की सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलान्ट को चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2,3,5,6,7,8,10,11 की उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक: भू0अ0/2024/3208 दिनांक 19.11.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.6.2024 के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,5(2),9 में चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/सू.का.अ./2024/1671 दिनांक 9.7.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 6,7, की सूचना के लिए पंजीयन अधिनियम के तहत 690 /–रू शुल्क ई–ग्रास के जरिये जमा करवाने बाबत लिखा गया किन्तु आवेदक द्वारा उक्त शुल्क जमा नही करवाया गया है। बिन्दु संख्या 8 की सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार जमा होने बाबत अवगत कराया जा चुका है। बिन्दुं संख्या 10 व 11 की सूचना के लिए कुल 68/–रू जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 75 दिनांक 25.6.2024 से लिखा जा चुका है किन्तु आवेदक द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 1–5 मे चाही गयी सूचनाऐ अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 6,7,10,11 की सूचनाओं के लिए शुल्क जमा करवाने बाबत लिखा जा चुका है तथा शेष बिन्दु संख्या 8 की सूचना जिला अभिलेखागार से प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दुं संख्या 1 लगायत 11 मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 व 9 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 6,7,10,11 की सूचना के लिए शुल्क जमा करवाने हेतु अपीलान्ट को लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त बिन्दुओ की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 8 की सूचना के लिए अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचना मे से अधिकांश बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है अथवा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अपीलान्ट बिन्दु संख्या 6,7,10,11 की सूचनायें नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के स[illegible] अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner